



2026:AHC:52067

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3541 वर्ष 2026

राम सिंह गौतमयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राजेश कुमार चौधरी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार चौधरी और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसकी नियुक्ति वर्ष 2007 में जनपद बस्ती में मनरेगा के तहत संविदा के आधार पर तकनीकी सहायक के रूप में हुई थी। याचिकाकर्ता 25.01.2025 को सेवानिवृत्त हो गया है। याचिकाकर्ता ई.पी.एफ के भुगतान की मांग कर रहा है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या-5 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है और याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या-5 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। प्रतिवादी संख्या-5 उक्त प्रतिवेदन पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से विचार करेंगे और याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।